न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
(जिला भीलवाड़ा राज.)

पीठासीन अधिकारीः—गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः—88/2018 (2018/00169) प्रार्थना पत्र

उनवान

1—अम्बालाल जीनगर पुत्र नारायणलाल जीनगर निवासी देवरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा **प्रार्थी**

बनाम

1—मोहम्मद उर्फ ताली पुत्र साबुद्दीन छीपा मुसलमान निवासी नन्दी दरवाजा डाकोता की कुड़ी पीर साहब का स्थान बलाई मौहल्ला आमेट तहसील व जिला राजसंमद
2—कैलाश पुत्र बसन्तीलाल जीनगर निवासी देवरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—रमेश पुत्र बसन्तीलाल जीनगर निवासी देवरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—जसराज पुत्र नारायणलाल जीनगर निवासी देवरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा **विपक्षीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 ए आर0टी0एक्ट.

उपस्थित
1. दीपक शर्मा— अधिवक्ता प्रार्थी

दिनांक 09.05.2019

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम देवरिया पटवार हल्का देवरिया तहसील रायपुर हाल आराजी नम्बर 2351 रकबा 0.62 है0, आराजी नम्बर 2352 रकबा 0.68 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.30 है0 भूमि विपक्षी संख्या 1 के पिता साबुद्दीन पिता करीमबक्ष छीपा मुसलमान के खातेदारी अधिकारो में 1/2 हक हिस्से से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसकी हाल जमाबन्दी की नकल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जिससे आगे वादग्रस्त आराजियात के नाम से सम्बोधित किया जायेगा, उक्त आराजियात के साबिक आराजि नम्बर 1286/1ट रकबा 6 बीघा थे, जिसकी ताईद में मिलान खसरे की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर पेश हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के पिता साबुद्दीन पिता करीम बक्ष ने दिंनाक 02.12.1967 को जरिये बहनामा तादादी 99/—रूपये से प्रार्थी व विपक्षी संख्या 2 व 3 के पिता व विपक्षी संख्या 4 के पक्ष में विक्रय कर एक बहनामा स्टाम्प तादादी 2/—रूपये पर निष्पादित किया व कब्जा सिपुर्द कर दिया चुकि प्रार्थी विपक्षी संख्या 2 व 3 के पिता व विपक्षी संख्या 4 एक ही परिवार के सदस्य होकर सगे भाई हैं व इनके आपसी पारिवारिक बंटवारे अनुसार उक्त वादग्रस्त आराजियात प्रार्थी के हक हिस्से में आई है, जिससे प्रार्थी उक्त वादग्रस्त आराजियात का एक मात्र विधिक अधिकारी है व वक्त क्रय से ही उक्त वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। विपक्षी संख्या 1 के पिता द्वारा प्रार्थी को उक्त बहनामा निद्दादित करते हुए वादग्रस्त भूमि का कब्जा मैने आपको सिपुर्द कर दिया है व जब भी आप कहोगे उक्त भूमि आपके नाम पर करवा दुंगा इस प्रकार प्रार्थी उक्त वादग्रस्त भूमि पर काबिज हो गया व प्रार्थी के निरन्तर कब्जा हाने की विधिवत जानकारी साबुछद्दीन पिता करीम बक्ष छीपा मुसलमान के विधिक वारिसान को थी व साबुददीन की मृत्यु के पश्चात् उसके विधिक वारिसान ने अपने नाम पर नामान्तरण नही खुलवाया व प्रार्थी भोला भाला गाव का व्यक्ति होने से साबुददीन व उसकी मृत्यु के उपरान्त उसके वारिस उसे आश्वासन देते रहे कि उक्त भुमि का बहनामा 99/—रूपये की तादादी पर लिखा गया हैं, जिससे उक्त दस्तावेज का पंजीयन किया जाना आवश्यक नही हैं। प्रार्थी कानुन की जानकारी नही व विपक्षी संख्या 1 की बातो पर विश्वास कर उक्त वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर निरन्तर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हैं। प्रार्थी एक कृषक व्यक्ति है, वह उक्त वादग्रस्त

भूमि ही प्रार्थी एवं उसके परिवार के भरण पोषण का एक मात्र आधार हैं। प्रार्थी ने उक्त वादग्रस्त भमि पर लाखों रूपये व्यय कर उसे उपजाउ व काबिल काश्त बनाया है इस प्रकार प्रार्थी उक्त वादग्रस्त भूमि पर वक्त क्रय से ही काबिज होकर लगातार निर्बाध रूप से शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा हैं किन्तु उक्त वादग्रस्त आराजियात के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम अकिंत नही होनें से प्रार्थी के हक अधिकारो से वछित हो रहा हैं व उसके विधिक अधिकोरो से वछिंत हो रहा है व प्रार्थी उक्त वादग्रस्त आराजियात के विधिक अधिकारो का उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा हैं जिससे प्रार्थी को उक्त वादग्रस्त भूमि का काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक हैं एवं इन्द्राज दुरूस्ती द्वारा वादग्रस्त आराजियात में प्रतिप्रार्थी संख्या 1 के पिता साबृद्दीन के बजाय प्रार्थी के नाम राजस्व अभिलेख में अकित करवाया जाना आवश्यक हैं। विपक्षी संख्या 1 उक्त वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द अन्तरित व भारित करने पर आमादा हो रहा हैं एवं प्रार्थी को बेदखल करने पर उतारू है तथा आये दिन वादग्रस्त भूमि पर अजनबी व्यक्तियो व दलालो को ला रहे है, जिससे विपक्षी संख्या 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जाना आवश्यक हैं कि वे उपरोक्त वादग्रस्त आराजी को किसी के माध्यम से खुर्द बुर्द अन्तरित व भारित नही करे प्रार्थी को उपरोक्त वादग्रस्त आराजी से बेदखल नही करे प्रार्थी के शान्ति पूर्वक उपयोग–उपभोग एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावें। विपक्षी संख्या 5 को भी पांबद कराया जाना आवश्यक है कि न्यायालय की अनुमति के बिना राजस्व अभिलेख में कोई परिवर्तन नही करें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 24.09.2018 को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 2 से 4 द्वारा जवाब पेश किया जो जिसकी प्रतिलिपी प्रार्थी के अधिवक्ता को दी जाकर सामिल पत्रावली किया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त आराजियात के मूल वाद के निस्तारण तक मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विरूद्व विपक्षीगण अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हुं। अतः

आदेश

वादग्रस्त आराजियात के मूल वाद के निस्तारण तक मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विरूद्व विपक्षीगण अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। उक्त पत्रावली मुल पत्रावली संख्या 7118 के साथ सलंग्न की जावें बाद दाखला पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्डअधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 09.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा